भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2093

06 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: लाख उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना

2093 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाख उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य फसलों की तर्ज पर लाख फसल को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अल्पावधि मियादी कृषि ऋण प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार लाख उत्पादन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कवर करने का विचार रखती है; और

ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है, यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : यद्यपि लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन को पहले से ही संबद्ध कृषि गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है, परंतु लाख की खेती के लिए वित्तमान की अनुपलब्धता के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए वित्तमान घोषित करने की सलाह दी है ताकि पात्र किसानों को केसीसी के तहत रियायती ऋण मिल सके।

(ख) और (ग): प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में स्कीम के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संचालित करने के लिए पिछले उपज डेटा की उपलब्धता और राज्य सरकार की क्षमता के अध्यधीन फसलों, चाहे वह खाद्यान्न, तिलहन, दालें, वाणिज्यिक/बागवानी फसलें हों, के कवरेज की परिकल्पना की गई है। अन्य फसलें जिनके लिए पिछला उपज डेटा या उपज जानने के लिए फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध नहीं है, को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत अधिसूचित किया जा सकता है। तथापि, योजना के तहत विनिर्दिष्ट फसल संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है।

चूंकि लाख कीड़ों से प्राप्त होने वाली उपज है इसलिए, इसे योजना के तहत सीधे कवर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, लाख का उत्पादन भी पोषित वृक्षों के पोषित पत्ते की अच्छी गुणवत्ता की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार लाख कीड़ों के लिए पोषित वृक्ष को आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर करने पर विचार कर सकती है।

******